



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म के अभियोग में अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु०अ०सं०-423/2022 धारा-363,366, 376(3) भा०द०सं० व 06 पोक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अंगदपाल पुत्र शिवरतन पाल निवासी ग्राम-चण्डौत थाना-जरिया, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी अवधनरेश
सिंह चन्देल



विवेचक-
उ०नि० योगेश
कुमार शुक्ला



पैरोकार- थाना राठ
का० प्रदीप भार्गव